



कोश/संभवित/क-3/ एन आर -133/2002/ 7155-7157  
भदर

रजिस्टर्ड पोस्ट  
दिनांक 14.08.2002  
16

टीका राम कॉलेज आफ एजुकेशन, सोनीपत, हरियाणा को बी.एड पाठ्यक्रम की 80 सीटों की मान्यता सत्र 1998-1999 से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने 80 सीटों के बजाय पर 100 सीटों की मान्यता हेतु आवेदन सर्वोच्च कार्यलय में दिनांक 31.12.2001 को प्राप्त हुआ था। उत्तर क्षेत्रीय समिति के 23वीं एवं 29वीं बैठक में निर्णय किया है कि जिन संस्थानों के आवेदन का के साथ अध्ययन सम्पादन संज्ञा नहीं है एवं जो निर्धारित विधि के अनुसार प्राप्त हुए हैं उन आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाये।

टीका राम कॉलेज आफ एजुकेशन, सोनीपत, हरियाणा को बी.एड पाठ्यक्रम की 80 सीटों की मान्यता सत्र 1998-1999 से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने 80 सीटों के स्थान पर 100 सीटों की मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन आवेदन को संस्था द्वारा बी.एड पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यापक शिक्षा एक्ट नं. 19, 1985 के प्रावधानों के वैधानिक पत्रावेज न होने, सोसाइटी/ट्रस्ट का संविधान/विधायनी की प्रति न होने एवं सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की प्रति न होने के कारण आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाता है।

यदि अगस्त 2003-2004 से मान्यता चाहते हैं तो आबरो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन से पूर्व विधिक सहायता प्राप्त करवावनी सहित आवेदन करना होगा।

आशा है

क्षेत्रीय निदेशक

प्रति

प्रचारार्थ  
टीका राम कॉलेज आफ एजुकेशन,  
सोनीपत-131001, हरियाणा

प्रतिलिपि सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. शिक्षा सचिव, हरियाणा सरकार, आवास सचिवालय, इंदौर
2. सहायक सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ईस्ट ब्लॉक, इंदौर राष्ट्रीय इंदौर स्टेशन, नई दिल्ली-2

क्षेत्रीय निदेशक